

(अनुसूचित जाति कन्या विवाह आर्थिक सहायता हेतु आवेदन-पत्र)

प्रति,

श्रीमान कलेक्टर महोदय/ जिला संयोजक महोदय,
आदिम जाति कल्याण
मोपाल ग प्र

विषय:- मध्यप्रदेश शासन द्वारा गरीब अनुसूचित जाति वर्ग की कन्या के विवाह हेतु आर्थिक सहायता देने बाबत ।

महोदय,

निवेदन है कि मैं अनुसूचित जाति वर्ग के अन्तर्गत आता हूँ/आती हूँ । मध्यप्रदेश अनुसूचित जाति कन्या विवाह 'सोभाग्यवति' योजना नियम 2004 अन्तर्गत कन्या विवाह हेतु आर्थिक सहायता चाहता हूँ/चाहती हूँ । आवश्यक जानकारी निम्न बिन्दुवार प्रस्तुत है :-

- 1- आवेदक का नाम पिता/माता :- _____
 - 2- गरीबी रेखा से नीचे यापन सूची में सम्मिलित कमांक व प्रमाण/राशन कार्ड :- _____
 - 3- विवाह योग्य कन्या की 18 वर्ष की आयु प्रमाण :- _____
 - 4- संबंधित परिवार व कन्या का मध्यप्रदेश के मूल:- निवासी होने का प्रमाण :- _____
 - 5- विवाह पत्रिका(मुद्रित) विवाह की निश्चित तिथि :- _____
- (अ)कर का नाम व पूर्ण पता(स्थायी -अस्थायी) एवं व्यवसाय आदि का उल्लेख हो । _____

हस्ताक्षर

आवेदक का नाम

()